प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, राजसमन्द (राज0), थाना प्र.आ.के.भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर. **वर्ष 2023**
प्र.ई.रि.सं. 98/2023 दिनांक 29/4/2023

2.–(1) अधिनियमः– भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018), धारा 7

(2) अधिनियम धारा
(3) अधिनियम धारा
(4) अन्य अधिनियम एवं धाराएं

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 511 समय 5:00 PM
(ब) अपराध के घटने का दिन **बुधवार, दिनांक 28.12.2022, समय 11.19 ए.एम**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 28.12.2022 समय 08.00 ए.एम

4.–सूचना की किस्मः– लिखित/मौखिकः–लिखित

5–घटनास्थलः– पुलिस थाना आमेट के पास स्थित चाय की होटल, कस्बा आमेट
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– **दिशा–उत्तर बफासला 35 किलोमीटर**
(ब) पता.....
.....बीट संख्या .....जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना.....जिला.....

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ).–नाम :– **श्री जय सिंह**
(ब).–पिता का नाम :– **श्री लक्ष्मण सिंह**
(स).–जन्म तिथि :– **उम्र 39 वर्ष,**
(द).–राष्ट्रीयता :– **भारतीय**
(य).–पासपोर्ट संख्या.....–.....जारी होने की तिथि.....–.....जारी होने की जगह.....–.....
(र).–व्यवसायः–प्राईवेट नोकरी
(ल).–पता :– निवासी– शिव शक्ति निवास, तहसील के सामने वार्ड नं. 03 देवगढ
तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–.....
1. श्री हिरालाल सालवी सरपंच, ग्राम पंचायत लोढीयाणा, पंचायत समिति आमेट, जिला राजसमन्द

8.– परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारणः–कोई नहीं

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

परिवादी श्री जय सिंह की फर्म श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स द्वारा ग्राम पंचायत लोढियाणा पं.स. आमेट जिला राजसमन्द के क्षैत्राधिकार ग्राम लोढियाणा में माध्यमिक स्कुल में तथा सार्वजनिक बाल वाटिका के निर्माण कार्य करवाये गये जिनके पेटे बने बिल कुल करीबन 2.93 लाख रूपयों का भुगतान पूर्व में परिवादी श्री जय सिंह की फर्म को कर दिया था, परन्तु उक्त भुगतान किये गये बिलों के 05 प्रतिशत के हिसाब से कमीशन के रूप में आरोपी श्री हिरालाल सालवी, सरपंच ग्राम पंचायत लोढियाणा, पं.स.आमेट जिला राजसमन्द द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से रिश्वत राशि की मांग परिवादी से करने पर दिनांक 28.12.2022 को की गई मांग सत्यापन वार्ता के दौरान आरोपी श्री हिरालाल सरपंच द्वारा परिवादी श्री जय सिंह को निर्माण कार्य 03 लाख के करीबन बता कर उसके 05 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग कर दौराने मांग सत्यापन वार्ता ही 9000/–रूपये रिश्वत राशि परिवादी से ग्रहण की तथा शेष रिश्वत राशि की और मांग की।

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य (आरोपी द्वारा परिवादी से मांग सत्यापन वार्ता के दौरान निर्माण कार्य 03 लाख के करीबन बता कर उसके 05 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग कर दौराने मांग सत्यापन वार्ता ही 9000/– रूपये रिश्वत राशि ग्रहण कर शेष रिश्वत राशि की और मांग की गई।)

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो).....–.....

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

महोदय जी,

वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 28.12.2023 को परिवादी श्री जय सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह राजपुत उम्र 39 वर्ष निवासी शिव शक्ति निवास, तहसील के सामने वार्ड नं. 03 देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ने उपस्थित चौकी होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि "निवेदन है की मैं लाईसेन्स प्राप्त ठेकेदार हुं। मैनें एक फर्म श्री राम बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स के नाम से बना रखी है जो कि मेरे नाम से ही है। मेरी फर्म द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्य में मैनें एक निर्माण कार्य के देखरेख के लिये एक मुनीम रख रखा है जो कि एक पार्टनर के रूप में काम करता हैं। जिसका नाम गंगाराम जी है। मेरी फर्म से जहां पर भी सरकारी निर्माण कार्य का टेण्डर होता है तो मेरे अलावा निर्माण कार्य की देख–रेख तथा हिसाब–किताब का कार्य गंगाराम जी ही करते है। मेरे फर्म के नाम से ग्राम लोढियाणा पंचायत समिति आमेट जिला राजसमन्द में माध्यमिक स्कुल में तथा सार्वजनिक बाल वाटिका का निर्माण कार्य कराने का टेण्डर हुआ था। जिसमें मैनें उक्त निर्माण कार्य पुरा कर दिया था। मेरे फर्म से अन्य जगहों पर भी निर्माण कार्य चलने से उक्त ग्राम पंचायत लोढीयाणा का कार्य गंगाराम जी ने ही अपनी देखरेख में पुरा कराया था। मैं समय मिलता उस सुविधा से ही कभी–कभी जाकर निर्माण कार्य का जायजा लेता था। उक्त ग्राम लोढीयाणा में किये गये निर्माण कार्य में कुल 2.93 लाख के करीब बिल बने थे। जिसके भुगतान की एवज में ग्राम पंचायत लोढियाणा का सरपंच श्री हिरालाल सालवी मुझसे निर्माण कार्य में बने बिल राशि के 05 प्रतिशत के हिसाब से कमीशन के रूप में रिश्वत राशि की मांग कर रहा हैं। लेकिन मैं सरपंच हिरालाल सालवी को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हुं। मेरा हिरालाल सालवी से कोई भी उधार या लेन–देन बकाया नहीं है तथा न ही कोई आपसी रंजिश है। मैं हिरालाल सालवी सरपंच को निर्माण कार्य के बने बिल के कमीशन के रूप में रिश्वत राशि लेते हुये को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं। कानुनी कार्यवाही करावें।"

इसके उपरान्त मन् पुलिस उप अधीक्षक अनूप सिंह द्वारा परिवादी श्री जय सिंह से उसकी ओर से पेश की गई लिखित रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए परिवादी से दरियाप्त की तो परिवादी ने उसके द्वारा पेश की हुई लिखित रिपोर्ट की ताईद की। तत्पश्चात परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित रिपोर्ट एवं दरियाप्त से संदिग्ध श्री हिरालाल सालवी सरपंच ग्राम पंचायत लोढीयाणा जिला राजसमन्द द्वारा परिवादी श्री जय सिंह से उसके द्वारा कराये गये निर्माण कार्य में बने बिल के कमीशन के रूप में रिश्वत राशि कि मांग करना अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आना पाया गया।

इसी दौरान मन् पुलिस उप अधीक्षक अनूप सिंह को परिवादी श्री जय सिंह ने बताया कि "संदिग्ध श्री हिरालाल सरपंच ग्राम पंचायत लोढीयाणा मुझे आज बार–बार फोन कर आमेट बुला रहा है। इसलिये आज ही मांग सत्यापन की कार्यवाही करना उचित रहेगा।" जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक अनूप सिंह ने कार्यालय के मालखाना से हैड कानि. श्री गोविन्दनारायण नं. 117 से डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर व नया मेमोरी कार्ड निकलवाकर श्री भंवरदान कानि. नं. 414 को कार्यालय कक्ष में बुला परिवादी श्री जय सिंह से परिचय करवा परिवादी श्री जय सिंह को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को चालु व बन्द करने की समझाईश कर डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड लगा श्री भंवरदान कानि0 नं. 414 को परिवादी श्री जय सिंह के साथ जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लाने की तथा बाद रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यवाही के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु हिदायत कर परिवादी श्री जय सिंह को डिजिटल वॉईस टेप रिकार्डर सूपुर्द कर परिवादी श्री जय सिंह एवं श्री भंवरदान कानि0 414 को ब्यूरो कार्यालय से कस्बा आमेट की ओर भेजा जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाई गई। जिस पर श्री भंवरदान कानि. नं. 414 व परिवादी श्री जय सिंह ब्यूरो कायार्लय में मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में उपस्थित आये तथा परिवादी ने बताया कि "मैं और भंवरदान जी दोनो यहां से रवाना होकर कस्बा आमेट में पुलिस थाना आमेट के पास पहुंचे जहां पर संदिग्ध श्री हिरालाल सरपंच के बताये अनुसार पुलिस थाना आमेट के पास स्थित चाय की होटल पर मिलने हेतु कहने पर श्री भंवरदान जी कानि. ने मुझे डिजिटल वॉईस टेप रिकार्डर चालू कर दिया और स्वयं पास ही रूके रहे। जिसके उपरान्त मैं पुलिस थाना आमेट के पास स्थित चाय की होटल पर पहुंचा जहां पर पूर्व से ही मोजुद श्री हिरालाल सरपंच ग्राम पंचायत लोढीयाणा बैठा हुआ मिला जो किसी अन्य व्यक्ति से बात कर रहा था। जिससे मैनें मेरी गाडी में बैठकर बात करना चाही तो वह मेरी गाडी बलेनो कार में आकर मेरे साथ बैठ गया

और मैनें उससे रिश्वत राशि के संबंध में बात की तो उसने बताया की मुझे गंगाराम ने अभी तक कोई रूपये नहीं दिये तथा उसने मुझे करीबन तीन लाख के निर्माण कार्य कराने के संबंध में कहा व 5 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि मांगने लगा। जिस पर मैनें उसे निर्माण कार्य के पेटे बने बिल के तीन प्रतिशत के हिसाब से ही रिश्वत राशि लेने हेतु आग्रह किया तो वह नहीं माना और 5 प्रतिशत के हिसाब से ही रिश्वत राशि लेने के लिये अडिग रहा तथा जिसके बाद हिरालाल सरपंच द्वारा मांग सत्यापन वार्ता के दोरान ही 9,000/- रूपये रिश्वत राशि मांग कर ग्रहण कर ली तथा निर्माण कार्य के पेटे बने बिल के 5 प्रतिशत के हिसाब से शेष रही रिश्वत राशि की मांग करने पर मैनें उसे बाद में देने के लिये निवेदन किया। जिस पर वह मान गया। जिसके बाद मैं हिरालाल सरपंच को नहीं पर चाय की होटल पर छोड कर वापस भंवरदान जी कानि. के पास मेरी कार से पहुंच इनको भी अपने साथ लेकर वापस इस कार्यालय में आये हैं। उक्त मांग सत्यापन वार्ता जो कि मेरे और श्री हिरालाल सालवी सरपंच के बीच हुई जिसको मैनें डिजिटल वॉईस टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड कर लिया है।" जिस पर परिवादी श्री जय सिंह द्वारा पेश की गई डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में दर्ज वार्ता को सुना गया तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्ठि हुई। तत्पश्चात डिजिटल वॉईस टेप रिकार्डर को सुरक्षित रखा गया तथा परिवादी श्री जय सिंह को मन् पुलिस उप अधीक्षक अनूप सिंह ने शेष रिश्वत राशि कब देने के संबंध में पुछा तो परिवादी श्री जय सिंह ने बताया कि "जब भी हिरालाल सरपंच मुझसे 5 प्रतिशत के हिसाब से शेष रही रिश्वत राशि की मांग करेगा अथवा बुलायेगा तो मैं, हिरालाल सरपंच को दी जाने वाली रिश्वत राशि लेकर आपके पास कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा।" जिस पर परिवादी श्री जय सिंह को आवश्यक हिदायत कर रूकसत किया गया तथा मालखाना प्रभारी श्री गोविन्दनारायण हैड कानि. नं. 117 को डिजिटल वॉईस टेप रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड सहित को मालखाना में सुरक्षित रखने हेतु संभलाया।

तत्पश्चात दिनांक 17.01.2023 को परिवादी श्री जय सिंह ब्यूरों कार्यालय पर मन् पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ और बताया कि "मैंने हिरालाल सालवी सरपंच ग्राम पंचायत लोढीयाणा को देने वाली 5 प्रतिशत के हिसाब से शेष रही रिश्वत राशि की व्यवस्था कर ली है। लेकिन हिरालाल सालवी सरपंच मुझसे या मेरे पार्टनर गंगाराम जी से कोई संपर्क नहीं कर रहा है और न ही रिश्वत राशि के बारे में कोई बात कर रहा है और न ही मोबाईल फोन पर मुझसे संपर्क कर रहा है।" जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी श्री जय सिंह को हिदायत की कि "आईन्दा जब भी संदिग्ध आरोपी श्री हिरालाल सालवी सरपंच ग्राम पंचायत लोढीयाणा रिश्वत राशि के बारे में बात करता है या संपर्क करता है तो तुरन्त ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये या मन् पुलिस उप अधीक्षक से संपर्क करें।" इस प्रकार बाद हिदायत के परिवादी श्री जय सिंह को रूकसत किया गया।

इसके उपरांत दिनांक 13.02.2023 को पुनः परिवादी श्री जय सिंह ब्यूरों कार्यालय पर मन् पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ और बताया कि "मैं आज मेरे किसी निजी कार्य से राजसमन्द आया था इसलिये आपसे मिलने के लिये उपस्थित आया हुं।" जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने संदिग्ध आरोपी श्री हिरालाल सालवी सरपंच ग्राम पंचायत लोढीयाणा द्वारा किसी प्रकार के संपर्क करने और पूर्व में मांग अनुसार 5 प्रतिशत के हिसाब से शेष रही रिश्वत राशि के मांगने के संबंध में पुछताछ की तो परिवादी श्री जय सिंह ने बताया कि "हिरालाल सालवी सरपंच ने मुझसे दिनांक 28.12.2022 के बाद अब तक कोई संपर्क नहीं किया है तथा न ही गंगाराम से रिश्वत राशि के बारे में कोई बात की है और मोबाईल फोन पर भी मुझसे संपर्क कर रहा है।" जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी श्री जय सिंह को आईन्दा जब भी संदिग्ध आरोपी श्री हिरालाल सालवी सरपंच ग्राम पंचायत लोढीयाणा द्वारा रिश्वत राशि के संबंध में संपर्क करने पर तुरन्त ही ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने और मन् पुलिस उप अधीक्षक से संपर्क करने की तथा मामले की गोपनीयता बताये रखने की हिदायत कर रूकसत किया गया।

दिनांक 01.03.2023 को परिवादी श्री जय सिंह ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष कार्यालय कक्ष में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि "निवेदन है कि मैनें दिनांक 28.12.2022 को आपके कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमन्द में आकर एक प्रार्थना पत्र श्री हिरालाल सरपंच ग्राम पंचायत लोढीयाणा पंचायत समिति आमेट जिला राजसमन्द द्वारा मुझसे रिश्वत राशि मांगने पर उसे रंगे हाथों पकडवाने के लिये कानुनी कार्यवाही कराने हेतु पेश की थी। जिसके बाद उसी दिनांक 28.12.2022 को श्री हिरालाल सालवी द्वारा रिश्वत राशि के बारे में बात करने के लिये आमेट

थाने के पास ही भंवरदान जी को मेरी गाडी से उतार दिया था और उसके बाद पुलिस थाने आमेट के पास ही चाय की स्टॉल पर हिरालाल सालवी सरपंच से बात की थी जो बातचीत मैनें डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली थी। जिस पर मैं हिरालाल सालवी सरपंच ने मुझसे निर्माण कार्य के पेटे बने बिल जो कि कुल 2.93 लाख के करीब थे, के पांच प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग की थी जिस पर मैनें उसे उस टाईम पर ही 03 प्रतिशत के हिसाब से कुल 9000/- रूपये दे दिये थे और बाकी की रिश्वत राशि बाद में देने के लिये कह कर आ गया था। उसके बाद आज दिनांक तक उस हिरालाल सालवी सरपंच ने मुझसे संपर्क नहीं किया न ही मेरे मुनीम गंगाराम जी से कोई संपर्क किया। दिनांक 28.12.2022 के बाद आज दिनांक तक हिरालाल सालवी सरपंच ने मुझसे बाकी की शेष रही रिश्वत राशि की मांग नहीं की है। इससे यह लगता है कि हिरालाल सरपंच को मेरे द्वारा एसीबी में शिकायत करने की भनक लग गई है इसलिये ही वह अब ओर कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं कर रहा है। अतः आपसे अनुरोध करता हुं कि मैं अब आगे की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कराना चाहता हुं।" परिवादी द्वारा वगैरा आशय का प्रार्थना पत्र पेश करने पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अवलोकन किया और परिवादी ने मजिद दरियाफत पर भी बताया कि "दिनांक 28.12.2022 के बाद आज तक हिरालाल सालवी सरपंच ने मुझसे बाकी की शेष रही रिश्वत राशि की मांग नहीं की है। इससे यह लगता है कि हिरालाल सरपंच को मेरे द्वारा एसीबी में शिकायत करने की भनक लग गई है इसलिये ही वह अब ओर कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं कर रहा है। मैं अब आगे की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कराना चाहता हुं।" इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक अनूप सिंह ने अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की संभावना नहीं पाये जाने पर कानि. भंवरदान नं. 414 से दो स्वतंत्र गवाहान को तलब करवाये। जिस पर कानि. भंवरदान नं. 414 मय दो स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री महेन्द्र कुमार शर्मा पिता श्री नन्दकिशोर शर्मा उम्र 52 वर्ष, जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ईडवा तहसील डेगाना जिला नागौर हाल निवासी शांति कॉलोनी कांकरोली हाल राज्य कर अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त राज्य कर वृत-बी राजसमन्द एवं श्री अक्षयवीर सिंह चुण्डावत पिता श्री लक्ष्मण सिंह उम्र 30 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द हाल राज्य कर अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त राज्य कर वृत-बी राजसमन्द के हमराह मन् पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष कार्यालय कक्ष में उपस्थित हुये तथा कानि. भंवरदान ने तेहरीर की रसीदन प्रति तथा कार्यालय उपायुक्त राज्य कर वृत-बी राजसमन्द का पत्र पेश किया जिसे बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र के साथ सुरक्षित संलग्न कर अपने पास ही रख मन् पुलिस उप अधीक्षक ने हर दोनो ही स्वतंत्र गवाहान श्री महेन्द्र कुमार शर्मा व श्री अक्षयवीर सिंह का कार्यालय कक्ष में उपस्थित परिवादी श्री जय सिंह से आपस में परिचय करवाया तथा उक्त परिवादी श्री जय सिंह व स्वतंत्र गवाहान श्री महेन्द्र कुमार शर्मा व श्री अक्षयवीर सिंह के समक्ष ही परिवादी द्वारा पूर्व में दिनांक 28.12.2022 को प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट को पढकर सुनाई गई तो परिवादी श्री जय सिंह ने शब्द-ब-शब्द सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् परिवादी श्री जय सिंह की लिखित रिपोर्ट पर दोनों गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक ने मालखाना प्रभारी हैड कानि. गोविन्दनारायण नं. 117 से दिनांक 28.12.2022 को संभलाये गये डिजिटल वॉईस टेप रिकार्डर जिसमें लगे मेमोरी कार्ड सहित को मंगा कर अपने पास सुरक्षित रखा।

तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड की हुई रिश्वत राशि की मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 28.12.2022 को डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को चालु कर परिवादी के समक्ष ही दोनों गवाहान श्री महेन्द्र कुमार शर्मा तथा श्री अक्षयवीर सिंह को सुनाई गई तो दोनो गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि की गई। तत्पश्चात दिनांक 28.12.2022 को हुई उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कि डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट कानि. श्री भंवरदान नं. 414 से तैयार करा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त वार्ता की ही मूल एवं डब सी.डी. कम्प्यूटर से तैयार करवाई जाकर मूल सी.डी. पर दोनों गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर सी.डी. को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिलचिट किया जाकर चिट पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा डब सी.डी. पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर सुरक्षित रखी गई। दोनों मूल एवं डब सी.डी. को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। इसके साथ ही मन् पुलिस उप अधीक्षक को दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री जय सिंह ने बताया कि उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई वार्तालाप में एक आवाज मेरी व दूसरी आवाज श्री हिरालाल सालवी

सरपंच ग्राम पंचायत लोढियाणा पंचायत समिति आमेट जिला राजसमन्द की है। इसके उपरांत मय पुलिस उप अधीक्षक मय परिवादी एवं उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कि परिवादी श्री जय सिंह एवं आरोपी श्री हिरालाल सालवी सरपंच ग्राम पंचायत लोढीयाणा पंचायत समिति आमेट जिला राजसमन्द के मध्य दिनांक 28.12.2022 को हुई जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजीटल वॉईस रेप रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डिजीटल वॉईस रेप रिकॉर्डर में से उक्त मेमोरी कार्ड को निकाला जाकर जरिये फर्द वजह सबूत जब्त किया गया तथा फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री जय सिंह एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बाद सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही के ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त सील को नष्ट किया जाकर फर्द नष्टीकरण जुदागाना तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरांत बाद कार्यवाही के परिवादी श्री जय सिंह व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री महेन्द्र कुमार शर्मा राज्य कर अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त राज्य कर वृत–बी राजसमन्द व श्री अक्षयवीर सिंह राज्य कर अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त राज्य कर वृत–बी राजसमन्द को मुनासिब हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया।

इस प्रकार परिवादी श्री जय सिंह की फर्म श्री राम बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स के नाम से ग्राम पंचायत लोढियाणा पंचायत समिति आमेट जिला राजसमन्द के क्षैत्राधिकार ग्राम लोढियाणा में माध्यमिक स्कुल में तथा सार्वजनिक बाल वाटिका के निर्माण कार्य कराने के टेण्डर हुये थे। जिसमें परिवादी श्री जयसिंह द्वारा उक्त निर्माण कार्य पुरे कर दिये थे। उक्त करवाये गये निर्माण कार्यों के पेटे बने बिल कुल करीबन 2.93 लाख रूपयों का भुगतान पूर्व में परिवादी श्री जय सिंह की फर्म श्री राम मटेरियल सप्लायर्स के खाते में कर दिया गया था, परन्तु उक्त भुगतान किये गये बिलों के 05 प्रतिशत के हिसाब से कमीशन के रूप में आरोपी श्री हिरालाल सालवी, सरपंच ग्राम पंचायत लोढियाणा, पंचायत समिति आमेट जिला राजसमन्द द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से रिश्वत राशि की मांग परिवादी श्री जय सिंह से किये जाने पर दिनांक 28.12.2022 को मांग सत्यापन की कार्यवाही कराई गई जिसमें आरोपी श्री हिरालाल सरपंच द्वारा परिवादी श्री जय सिंह से मांग सत्यापन वार्ता के दौरान निर्माण कार्य 03 लाख के करीबन बता कर उसके 05 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग कर दौराने मांग सत्यापन वार्ता ही 9000/– रूपये रिश्वत राशि ग्रहण की गई तथा शेष रिश्वत राशि की ओर मांग की गई। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही की भनक लग जाने से आरोपी द्वारा परिवादी से किसी प्रकार का संपर्क नहीं करने के कारण तथा परिवादी द्वारा भी अग्रिम ट्रेप कार्यवाही नहीं चाहने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की संभावना नहीं पायी जाने पर आरोपी श्री हिरालाल सालवी सरपंच ग्राम पंचायत लोढीयाणा पंचायत समिति आमेट जिला राजसमन्द का उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रमाणित पाया गया हैं।

अतः आरोपी श्री हिरालाल सालवी सरपंच ग्राम पंचायत लोढीयाणा पंचायत समिति आमेट जिला राजसमन्द के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन मुख्यालय प्रेषित है।

भवदीय

(अनूप सिंह)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजसमन्द

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनूप सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री हीरालाल सालवी, सरपंच, ग्राम पंचायत लोढियाणा, पंचायत समिति आमेट, जिला राजसमन्द के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 98/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

28.4.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 760-63 दिनांक 28.04.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमंद।

28.4.23

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।